

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 29 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 26.09.2020 से 03.10.2020 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.01.2020 से 22.01.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:.....**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण:** विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	3329
2018-19	3768
2019-20	2304

(iii) (ब) **बजट का विवरण:-**विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् है:


वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला खान अधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - माह 05/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग 2 (अ)

### प्रस्तर-1 स्टोन क्रेशर द्वारा वार्षिक शुल्क जमा न किए जाने से राजस्व क्षति रु 215 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं. 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनांक 19.11.2016 अध्याय-II के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर की स्थापना के लिए आवेदन शुल्क रु 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रति घंटा तक) एवं रु 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त) निर्धारित है। नीति के अध्याय-III के बिन्दु-1(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25% है।

स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क न जमा करने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अधिकारी द्वारा ई प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अंतर्गत पंजीकृत स्टोन क्रेशर संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 86 (सूची संलग्न) स्टोन क्रेशर द्वारा वर्ष 2019-20 के वार्षिक शुल्क रु 215 लाख नहीं जमा की गयी है नियमानुसार प्रत्येक स्टोन क्रेशर द्वारा अपनी स्थापना आवेदन शुल्क का 25% (रु 250000) वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष जिला खान अधिकारी कार्यालय में जमा की जानी चाहिए, बिना वार्षिक शुल्क जमा किए स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। जबकि स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क न जमा करने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अधिकारी द्वारा ई प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जा सकता।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि पत्रावलियों की जांच कर वार्षिक शुल्क के वसूली संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना वार्षिक शुल्क जमा किये क्रेशर द्वारा संचालन नहीं किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

**जनपद हरिद्वार मे स्टोन क्रेशर द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु लंबित वार्षिक शुल्क**

जनपद हरिद्वार में स्थित स्टोन क्रेशरो की सूची।							
क्र०सं०	स्टोन क्रेशर का नाम व पता	उत्पादन क्षमता प्रतिदिन	उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा	भण्डारण क्षमता (टन में)		भण्डारण अनुमति की वैधता	वार्षिक शुल्क
				प्रतिवर्ष	एक समय में		
	तहसील भगवानपुर						
1	मै० राणा स्टोन क्रेशर बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000708</b>	200	20	462000	154000	21.01.2017 से 18.09.2021 तक	250000
2	मै० हिमालय सोसा० फार डवलमेंट बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000704</b>	200	20	462000	154000	09.12.2016 से 27.10.2021 तक	250000
3	मै० शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000514</b>	200	20	440000	132000	10.11.2016 से 24.10.2021 तक	250000
4	मै० गंगोत्री ग्रामोद्योग संस्थान शहीदवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000534</b>	400	40	462000	154000	18.11.2016 से 24.10.2021 तक	250000
5	गढ़वाल स्टोन क्रेशर, बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000674</b>	200	20	462000	154000	09.11.2016 से 11.11.2021 तक	250000
6	मै० अल्ट्राईका स्टोन क्रेशरबुधवा शहीद (तहसील भगवानपुर) <b>SC68000532</b>	200	20	495000	154000	01.11.2017 से 14.11.2021 तक	250000
7	मै० दुर्गा ग्रामोद्योग संस्थान, बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर) <b>SC68000533</b>	400	40	462000	154000	18.11.2016 से 18.11.2021 तक	250000
8	मै० महाशक्ति ग्रामोद्योग संस्थान बंजारेवाला(तहसील भगवानपुर)	200	20	440000	154000	12.12.2017 से 17.11.2021 तक	250000
9	मै० फ्रैंड्स कल्याण समिति स्टोन क्रेशरबंजारेवाला (तहसील भगवानपुर) <b>SC68000607</b>	200	20	396000	132000	21.01.2017 से 27.11.2021 तक	250000

10	मै0 अमित ग्रमोद्योग संस्थान, बन्जारेवाला(तहसील भगवानपुर)SC68001115	200	20	440000	154000	18.08.2017 से 17. 11.2021 तक	250000
11	मै0 देव भूमि स्टोन केशर, बन्जारेवाला(तहसील भगवानपुर) (वर्ष-2014) SC68000320	200	20	440000	132000	04.07.2016 से 02. 03.2019 तक	250000
12	मै0 हरिद्वार ग्रिट स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट(तहसील भगवानपुर) SC68000835	200	20	462000	154000	13.07.2016 से 03. 09.2020 तक	250000
13	मै0 खालसा स्टोन केशर, बन्जारेवाला(तहसील भगवानपुर) SC68000847	200	20	462000	154000	04.11.2016 से 15. 08.2021तक	250000
14	मै0 मां भगवती स्टोन केशर, बन्जारे वाला ग्रन्ट(तहसील भगवानपुर) SC68011292	200	20	154000	154000	03.10.2017 से 15. 07.2021 तक	250000
15	मै0 आर्या स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला (तहसील भगवानपुर) SC68011188		100	242000	110000	20.10.2017 से 19. 12.2021 तक	250000
16	मै0 नीलकण्ठ इन्डस्ट्रीज स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट (तहसील भगवानपुर) SC68011282		100	264000	88000	27.11.2017 से 03. 01.2022 तक	250000
17	मै0 कृष्णा एसोसियेट ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद (तहसील भगवानपुर) SC68011189		100	290400	132000	20.10.2017 से 26. 12.2021 तक	250000
17	मै0 सिद्धान्त केशिंग वर्क्स ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट (तहसील भगवानपुर) SC68021815		100	264000	88000	17.12.2018 से 03. 01.2022 तक	250000
18	मै0 कुबेर कृटिया स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट (तहसील भगवानपुर) SC68001087		100	75000	—	27.07.2017 से 03. 01.2022 तक	250000

19	मै० राम रहीम स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद (तहसील भगवानपुर) SC68011163		100	330000	110000	07.10.2017 से 02. 01.2022 तक	250000
20	मै० महान स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद (तहसील भगवानपुर) SC68011306		200	330000	110000	12.12.2017 से 17. 11.2021 तक	250000
21	मै० मंगलम स्टोन केशर ग्राम शहीदवाली ग्रन्ट (तहसील भगवानपुर) SC68011413		100	198000	66000	04.01.2018 से 02. 01.22.022 तक	250000
22	मै० लक्ष्मी स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला ग्रन्ट (तहसील भगवानपुर) SC68000703		200	462000	154000	07.10.2016 से 23. 12.2019 तक	250000
23	मैसर्स एवरेस्ट स्टोन केशर, ग्राम बन्जारेवाला SC68011230		100	330000	110000	29.10.2017 से 02. 01.2022 तक	250000
24	मै० श्री गणेश स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार SC68021865		100	990000	297000	18.01.2019 से 18. 09.2023 तक	250000
25	मै० राज स्टोन केशर दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार SC68021816		100	264000	88000	29.12.2018 से 27. 05.2023	250000
27	मै० न्यू जय भवानी स्टोन केशर दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार SC68021816		100	150000	50000	27.02.2019 से 16. 05.2023	250000
28	श्री पीयूष शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा ग्राम बनजारावाला ग्रन्ट त० भगवानपुर जिला हरिद्वार	11.07.2018 से 10.07. 2023 तक				11.07.2018 से 10. 07.2023 तक	250000
29	मै० जयदुर्गे स्टोन केशर, इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000505	200	20	550000	154000	22.11.2016 से 22. 11.2021 तक	250000

30	मै० महावीर स्टोन केशर इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000466	300	30	330000	123200	02.12.2016 से 27. 10.2021 तक	250000
31	मै० नीरज स्टोन केशर, रानीपुर झाल (तहसील हरिद्वार) SC68000525	200	20	462000	154000	09.12.2016 से 02. 11.2021 तक	250000
32	मै० श्री गंगा स्टोन केशिंग कम्पनी इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000646	200	20	330000	123200	23.01.2017 से 17. 11.2021 तक	250000
33	मै० श्री राम स्टोन केशर इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000598	200	20	231000	77000	18.11.2016 से 27. 10.2021 तक	250000
34	मै० शुभम् स्टोन केशर, इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000467	320	32	550000	154000	22.11.2016 से 25. 10.2021 तक	250000
35	बाण गंगा स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000673	200	20	440000	110000	23.01.2017 से 15. 11.2021 तक	250000
36	श्री गणेश स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000078	600	60	396000	132000	01.07.2017 से 25. 10.2021 तक	250000
37	मै० शिवा स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000375	400	40	396000	132000	18.05.2017 से 09. 11.2021 तक	250000
38	मै० गौमुख स्टोन केशर विशानपुर झरडा(तहसील हरिद्वार) SC68011602	200	20	440000	110000	04.05.2018 से 19. 02.2023 तक	250000
39	मै० महाराजा स्टोन केशर, फेरुपुर रामखेड़ा(तहसील हरिद्वार) SC68000463	350	35	990000	242000	02.12.2016 से 03. 12.2021 तक	250000
40	मै० महालक्ष्मी ग्रमोद्योग संस्थान, चोंदपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000428	200	20	462000	154000	04,11,2016 से 27. 10.2021 तक	250000
41	मै० शिव शक्ति स्टोन केशर, कटारपुर, हरिद्वार (तहसील हरिद्वार) SC68000764	200	20	462000	154000	18.11.2016 से 18. 11.2021 तक	250000
42	मै० कृष्णा ग्रिट उद्योग, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000469	400	40	462000	154000	02.12.2016 से 25. 10.2021 तक	250000
43	मै० त्रिरूपति स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000502	200	20	550000	154000	18.05.2017 से 09. 11.2021 तक	250000

44	मै0 ए0पी0 एशोसिएट, सजनपुर पीली, हरिद्वार (तहसील हरिद्वार) SC68000073	800	80	330000		16.12.2017 से 19. 11.2021 तक	250000
45	मै0 लक्ष्मी स्टोन केशर प्रा0लि0, पथरी (तहसील हरिद्वार) SC68011220	300	30	440000	154000	07.08.2017 से 18. 11.2021 तक	250000
46	श्री शिव स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000503	200	20	550000	154000	18.11.2016 से 18. 11.2021 तक	250000
47	मै0 शिव स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	—	14	660000	165000	04.04.2018 से 20. 02.2023 तक	250000
48	मै0 शिव शक्ति स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	200	20	550000	154000	19.11.2016 से 15. 11.2021 तक	250000
49	मै0 कमल स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	200	20	550000	154000	18.11.2017 से 17. 11.2021 तक	250000
50	मै0 साईंसा स्टोन केशर, बिशनपुर	200	20	770000	308000	02.12.2016 से 24. 10.2021 तक	250000
51	मै0 श्री ओम केलावीर स्टोन केशरसजनपुर पीली (तहसील हरिद्वार)	200	20	440000	132000	16.11.2017 से 17. 11.2021 तक	250000
52	मै0 वर्धमान स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000376	200	20	880000	220000	30.10.2017 से 27. 10.2021 तक	250000
53	मै0 श्री इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर), भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000519	100	10	275000	160600	02.12.2016 से 24. 10.2021 तक	250000
54	श्री दुर्गा स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)SC68001067	200	20	660000	220000	26.6.2017 से 14.11. 2021 तक	250000
55	स्वतंत्र स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000977	200	20	440000	132000	24.01.2017 से 14. 11.2021 तक	250000
56	श्री बाला जी स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000334	200	20	440000	132000	13.06.2016 से 26. 05.2019 तक	250000
57	मै0 एस0आर0 स्टोन केशर बिशनपुर झरडा तहसील व जिला हरिद्वार (तहसील हरिद्वार) (वर्ष-2015) SC68000070	500	50	1100000	220000	15.11.2017 से 18. 05.2020 तक	250000

58	मै0 कुमार स्टोन केशर, हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमजरा(तहसील हरिद्वार) SC68000563	200	20	550000	154000	16.06.2016 से 30. 07.2020 तक	250000
59	मै0 श्री साई स्टोन इण्डस्ट्रीज, कटारपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000408	200	20	550000	165000	30.06.2016 से 27. 07.2020 तक	250000
60	मै0 मॉ गंगा स्टोन केशर, बाडीटीप (तहसील हरिद्वार) SC68000179	200	20	462000	154000	09.06.2016 से 25. 10.2020 तक	250000
61	मै0 सिद्धि विनायक माईन एंड निरल्स, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000468	200	20	440000	22000	15.07.2016 से 03. 09.2020 तक	250000
62	मै0 आर0 के0 त्यागी एंड कम्पनी, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68011354	200	20	440000	154000	08.01.2018 से 29. 07.2020 तक	250000
63	मै0 महालक्ष्मी स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68000402	200	20	462000	154000	27.07.2017 से 28. 07.2020 तक	250000
64	मै0 शिव गंगा स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार।) SC68000542	200	20	550000	154000	22.10.2016 से 29. 09.2021 तक	250000
65	मै0 एस0एस0 स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप (तहसील हरिद्वार) SC68011241		200	528000	176000	19.09.2017 से 27. 12.2021 तक	250000
66	मै0 कृष्णा स्टोन केशर ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68011190		50	100000		07.08.2017 से 27. 12.2021 तक	250000
67	मै0 श्री हिमगंगे स्टोन केशर ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68011308		100	330000	110000	06.12.2017 से 02. 01.2022 तक	250000
68	मै0 महादेव माईन एण्ड मिनरल स्टोन केशर ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68001051		100	300000		20.06.17 से 18.12. 2021 तक	250000
69	मै0 एस0 जे0 स्टोन केशर ग्राम शाहपुर शीतलाखेडा (तहसील हरिद्वार) SC68011167		100	120000		27.07.2017 से 28. 12.2021 तक	250000
70	मैसर्स एस0ए0रावत स्टोन केशर, ग्राम दादूबांस, तहसील हरिद्वार SC68021874		100	165000	55000	12.12.2017 से 02. 01.2022 तक	250000

71	मैसर्स माँ वैष्णों स्टोन भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार SC68011309		100	110000		27.07.2017 से 28.12.2021 तक	250000
72	मै0 गंगा स्टोन केशर, ग्राम चांदपुर तहसील व जिला हरिद्वार SC68022031		100			07.06.2019 से 20.01.2024 तक	250000
73	मै0 अलकनन्दा स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप तहसील व जिला हरिद्वार		100			27.06.2019 से 25.11.2023 तक	250000
74	मै0 पृथ्वी स्टोन केशर ग्राम भोगपुर(तहसील हरिद्वार) SC68011677		100	264000	88000	06.07.2018 से 22.01.2022 तक	250000
75	दशमेश स्टोन केशर, ग्राम समसपुर कटेबड, त0 व जिला हरिद्वार		100				250000
76	मै0 स्टार पोली इन्डस्ट्रीज शाखा शिव ग्रिट उद्योग स्टोन केशर ग्राम फेरुपुर रामखेडा (तहसील हरिद्वार) SC68001090		100	—	85000	27.07.2017 से 27.12.2021 तक	250000
77	मै0 वजीर स्टोन केशर ग्राम भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार SC68011683		100	286000	99000	20.07.2018 से 08.01.2023 तक	250000
78	मै0 हरिद्वार स्टोन केशर, ग्राम भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार		150	264000	88000	18-01-2019 से 19-07-2023	250000
79	मै0 पाल स्टोन केशर, ग्राम फेरुपुर रामखेडा त0 व जिला हरिद्वार					25.06.2018 से 24.06.2023	250000
80	मै0 महादेव गंगे स्टोन केशर समसपुर कटेबड SC68011690		100	80000	30000	13.08.2018 से 05.06.2023 तक	250000
81	मै0 वानिया स्टोन केशर, ग्राम महतोली तहसील लक्सर व जिला हरिद्वार		100				250000
82	मै0 हाईवे कन्स्ट्रक्शन एण्ड केशर ग्राम फतवा (तहसील लक्सर) SC68011239		100	80000		24.07.2017 से 27.12.2021 तक	250000
83	मै0 किसान स्टोन केशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार		150	264000	88000	18.12.2018 से 30.07.2023 तक	250000

84	मै0 गणपति स्टोन केशर ग्राम जवाहरखान उर्फ झीवरहेडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार sc68021878		100	198000	66000	19.01.2019 से 28.05. 2023 तक	250000
85	मै0 सूर्या स्टोन केशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा (तहसील लक्सर) SC68011247		200	528000	176000	15.11.2017 से 25.12. 2021 तक	250000
86	लिमरा इन्डस्ट्रीज ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार) SC68001068		100	550000	154000	11.07.2017 से 14.12. 2021 तक	250000
	कुल योग:-						21500000

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर: 2 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹4.09 करोड़।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1207/VII-1/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 07 अगस्त 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार ईट की रॉयल्टी की दर रु. 2000/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा ईट की रॉयल्टी की दर रु. 1000/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। इसके बाद उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1754/VII-1/24-ख/07टीसी देहरादून दिनांक 8 दिसम्बर 2016 द्वारा ईट की रॉयल्टी की दर ₹100/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया 1.00 लाख ईट अतिरिक्त मानते हुए गणना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संलग्न सूची में उल्लेखित 148 ईट भट्टों के मालिको/संचालको द्वारा वर्ष 2019-20 में निर्धारित मानक के अनुसार 409300000 ईट कुल उत्पादन किया गया था जिस पर शासनादेश द्वारा निर्धारित ₹100/- प्रति हजार की दर से ₹409300000/- रॉयल्टी भट्टों/संचालको द्वारा देय है (सूची संलग्न है) परन्तु इकाई द्वारा रॉयल्टी राजस्व की वसूली नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसी भट्टा संचालक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति ली गयी है अथवा नहीं।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि प्रकरण में निदेशालय से समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर वांछित कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा समय पूर्वक रॉयल्टी को वसूल करके राजस्व में जमा कराया जाना चाहिए था।

अतः ईट भट्टा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹4.09 करोड़ राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## जनपद हरिद्वार के ईट भट्टों के वर्ष 2019-20 का विवरण।

क्रम	ईट भट्टे का नाम व कार्य स्थल का नाम	पायो की संख्या	निर्धारित मानक के अनुसार ईट का उत्पादन (Number)	देय रॉयल्टी की धनराशि (₹100 प्रति हजार ईट) (₹)
1	सर्वश्री अमर ईट उद्योग लण्डौरा, रुड़की ।	25	3000000	300000
2	सर्वश्री सोहेल ब्रिक फील्ड, बिझौनी।	21	2600000	260000
3	सर्वश्री ए वन ब्रिक फील्ड कम्पनी, जौनपुर लण्डौरा।	26	3100000	310000
4	सर्वश्री किसान ब्रिक फील्ड, बुडपुर जट	21	2600000	260000
5	सर्वश्री वैभव लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड बिझौनी।	23	2800000	280000
6	सर्वश्री गगन ईट उद्योग, बिझौनी रुड़की	23	2800000	280000
7	सर्वश्री सूर्या ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दरपुर।	21	2600000	260000
8	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	21	2600000	260000
9	सर्वश्री गगन भट्टा, भगवानपुर, चन्दनपुर।	28	3300000	330000
10	सर्वश्री वीर बाबा फील्ड, घोसीपुरा रुड़की ।	23	2800000	280000
11	सर्वश्री दो आब भट्टा क0 भा0च0 रुड़की।	23	2800000	280000
12	सर्वश्री एकता ब्रिक फील्ड, जौरासी।	23	2800000	280000
13	सर्वश्री जनता ब्रिक फील्ड, लण्डौरा।	21	2600000	260000
14	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	24	2900000	290000
15	सर्वश्री बिरला ब्रिक कम्पनी, लण्डौरा।	23	2800000	280000
16	सर्व श्री आसरा ब्रिक फील्ड सलारपुर रुड़की	23	2800000	280000
17	सर्वश्री पारस ब्रिक फील्ड गाधारौना रुड़की	23	2800000	280000
18	सर्वश्री षमा ब्रिक सप्लाई, लण्डौरा।	21	2600000	260000
19	सर्वश्री साबरी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, गाधारौना।	23	2800000	280000
20	सर्वश्री सूरज ब्रिक फील्ड लण्डौरा।	23	2800000	280000
21	सर्वश्री साबरी ब्रिक फील्ड गाधारौना, अकबरपुर।	23	2800000	280000
22	सर्वश्री डमरू ब्रिक फील्ड बिझौनी।	23	2800000	280000
23	सर्वश्री मिलाप ब्रिक फील्ड जैनपुरी झंझेरी।	23	2800000	280000
24	सर्वश्री टी0आर0 सुरेन्द्र कुमार नगलाईमरती	27	3200000	320000
25	सर्वश्री आकाष ब्रिक फील्ड लण्डौरा	21	2700000	260000
26	सर्वश्री आर0के0 ब्रिक नगला ईमरती	26	3100000	310000
27	सर्वश्री प्रदीप ईट, उद्योग लण्डौरा।	23	2800000	280000
28	सर्वश्री गोयल ब्रिक इण्डस्ट्रीज लण्डौरा।	23	2800000	280000
29	सर्वश्री यूनिक ब्रिक फील्ड (पूर्व का नाम जय भवानी ब्रिक फील्ड) लण्डौरा यूनिट-1 प्रथम।	24	2900000	290000

30	सर्वश्री यूनिक ब्रिक सप्लाई जैनपुर झंझेरी रुड़की (पूर्व का नाम अमन ब्रिक फील्ड) यूनिट-2 द्वितीय।	23	2800000	280000
31	सर्वश्री गगन ब्रिक उद्योग जबरदस्तपुर लण्डौरा।	23	2800000	280000
32	सर्वश्री अनिल ब्रिक सप्लाई लण्डौरा।	23	2800000	280000
33	सर्वश्री अनिल ईट, उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर।	22	2700000	270000
34	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग जैनपुर झंझेरी रुड़की	23	2800000	280000
35	सर्वश्री गगन ब्रिक क0 भगवानपुर चन्दनपुर।	23	2800000	280000
36	सर्वश्री गगन ब्रिक सप्लाई टाण्डा भनहेड़ा रुड़की	23	2800000	280000
37	सर्वश्री सिंदल ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती।	23	2800000	280000
38	सर्वश्री भारत ब्रिक सप्लाई लण्डौरा	23	2800000	280000
39	सर्वश्री भारत ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रुड़की।	23	2800000	280000
40	सर्वश्री उत्तरांचल ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रुड़की।	23	2800000	280000
41	सर्वश्री मिलन ब्रिक फील्ड लिब्रहेडी	23	2800000	280000
42	सर्वश्री बुलन्द ब्रिक फील्ड जबरदस्तपुर लण्डौरा।	23	2800000	280000
43	सर्वश्री नरेष ईट उद्योग नगलाईमरती।	23	2800000	280000
44	सर्वश्री गणेश ब्रिक फील्ड गाधारोना रुड़की।	23	2800000	280000
45	सर्वश्री त्यागी ब्रिक फील्ड, नागाइमरती।	23	2800000	280000
46	सर्वश्री त्यागी ब्रिक सप्लाई मुण्डलाना रुड़की।	23	2800000	280000
47	सर्वश्री हीरा ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर रुड़की	25	3000000	300000
48	सर्वश्री हीरा ब्रिक सप्लाई इन्झेरी, भगवानपुर चन्दनपुर।	23	2800000	280000
49	सर्व श्री चौधरी ब्रिक सप्लाई लिब्रहेडी रुड़की।	27	3200000	320000
50	सर्वश्री चौधरी ब्रिक उद्योग कसमपुर लिब्रहेडी रुड़की	23	2800000	280000
51	सर्वश्री साबरी ब्रिक कम्पनी लण्डौरा रुड़की।	27	3200000	320000
52	सर्वश्री श्रीराम ईट उद्योग रहमतपुर रुड़की।	23	2800000	280000
53	सर्वश्री उग्रसेन अमरनाथ भट्टा लण्डौरा रुड़की।	21	2600000	260000
54	सर्वश्री रुड़की ब्रिक फील्ड रहमतपुर।	23	2800000	280000
55	सर्वश्री आरजू ब्रिक फील्ड जैनपुर लण्डौरा, रुड़की	23	2800000	280000
56	सर्वश्री स्वागत ब्रिक फील्ड जैनपुर रुड़की	23	2800000	280000
57	सर्वश्री जमना ईट उद्योग लिब्रहेडी	23	2800000	280000
58	सर्वश्री गगन ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर।	27	3200000	320000
59	सर्वश्री कृष्णा ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती।	23	2800000	280000
60	सर्वश्री सजल ब्रिक फील्ड, लण्डौरा।	23	2800000	280000
61	सर्वश्री सागर ब्रिक फील्ड, भगवानपुर, चन्दनपुर (पूर्व का नाम नगर ब्रिक कम्पनी)	23	2800000	280000

62	सर्वश्री न्यू स्वागत ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर।	19	2400000	240000
63	सर्वश्री षमा ब्रिक फील्ड, गाधारौना रोड़।	23	2800000	280000
64	सर्वश्री साबरी ब्रिक उद्योग गाधारौना रुड़की।	23	2800000	280000
65	सर्वश्री लोहना ब्रिक फील्ड लिब्बाहेड़ी।	23	2800000	280000
66	सर्वश्री साबरी ब्रिक सप्लायर, गाधारौणा रोड़	23	2800000	280000
67	सर्वश्री दुर्गा ब्रिक फील्ड, रेलवे रोड़ लण्ढौरा।	25	3000000	300000
68	सर्वश्री ईजहार ब्रिक फील्ड बिजौली।	23	2800000	280000
69	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक सप्लायर टान्डा भन्हेड़ा।	23	2800000	280000
70	सर्वश्री गौरी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रुड़की	23	2800000	280000
71	सर्वश्री अम्बा ब्रिक फील्ड लण्ढौरा।	27	3200000	320000
72	सर्वश्री अषोक ब्रिक फील्ड नगरलाईमरती।	19	2400000	240000
73	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड, लिब्बरहेड, रुड़की।	23	2800000	280000
74	सर्वश्री उत्तम ब्रिक फील्ड, गाधारौना लण्ढौरा।	21	2600000	260000
75	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड क0 लिब्बरहेड़ी रुड़की।	27	3200000	320000
76	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड द्वितीय नगलाचीना।	23	2800000	280000
77	सर्वश्री सोमी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रुड़की	23	2800000	280000
78	सर्वश्री ऑचल ब्रिक फील्ड, बिजौली, रुड़की।	23	2800000	280000
79	सर्वश्री आदर्ष ब्रिक फील्ड, नत्थूखेड़ी।	27	3200000	320000
80	सर्व श्री राम ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दनपुर	27	3200000	320000
81	सर्व श्री विष्णु ब्रिक फील्ड, नत्थूखेड़ी।	27	3200000	320000
82	सर्वश्री के0के0 ब्रिक सप्लायर कलियर।	23	2800000	280000
83	सर्वश्री रोषन ब्रिक कम्पनी नगलाईमरती।	19	2400000	240000
84	सर्वश्री चॉद ब्रिक उद्योग नगलाईमरती।	19	2400000	240000
85	सर्वश्री साँई ब्रिक फील्ड, बिजौली रुड़की।	23	2800000	280000
86	सर्वश्री राव ब्रिक फील्ड, ढन्ढेरा।	23	2800000	280000
87	सर्वश्री नाज ब्रिक कम्पनी पिरपुरा मंगलौर रुड़की।	19	2400000	240000
88	सर्वश्री दो आब ईट उद्योग नगलाईमरती रुड़की।	23	2800000	280000
89	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर।	23	2800000	280000
90	सर्वश्री सवेरा ईट उद्योग नगलाईमरती।	23	2800000	280000
91	सर्वश्री षिव ब्रिक उद्योग बुडपुरजट, रुड़की।	23	2800000	280000
92	सर्वश्री अपना ब्रिक फील्ड (नया नाम उत्तराखण्ड ब्रिक फील्ड) लण्ढौरा	19	2400000	240000
93	सर्व श्री दोआब भट्टा कम्पनी, मुण्डलाना, रुड़की।	27	3200000	320000
94	सर्वश्री हिमालय ब्रिक फील्ड रहमतपुर।	23	2800000	280000

95	सर्वश्री षिवम् ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती ।	23	2800000	280000
96	सर्वश्री सैनी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर	23	2800000	280000
97	सर्वश्री आदर्श ब्रिक सप्लाई लिब्बाहेडी, रूडकी	23	2800000	280000
98	सर्वश्री मॉ दुर्गा ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर ।	27	3200000	320000
99	सर्वश्री कमल ब्रिक फील्ड, अकबरपुर, ढाडेकी, रूडकी	23	2800000	280000
100	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक फील्ड, भन्हेड़ा टाण्डा रूडकी	23	2800000	280000
101	सर्व श्री दो आब भट्टा क0 घोरीपुरा मंगलौर	23	2800000	280000
102	सर्वश्री बालाजी भट्टा कम्पनी मुण्डलाना रूडकी	27	3200000	320000
103	सर्वश्री राना ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर ।	23	2800000	280000
104	सर्वश्री षान ब्रिक फील्ड गाधारौना रोड रूडकी	22	2700000	270000
105	सर्वश्री नैनो ब्रिक फील्ड, बैडपुर भगवानपुर रूडकी	18	2300000	230000
106	सर्वश्री विजय ब्रिक फिल्ड सुसाडी कला रूडकी	18	2300000	230000
107	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फिल्ड सुसाडी कला रूडकी	18	2300000	230000
108	सर्वश्री शक्ति ब्रिक फील्ड, शहपुर भगवानपुर रूडकी	19	2400000	240000
109	सर्वश्री न्यू स्वागत ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर ।	19	2400000	240000
110	सर्वश्री नाज ब्रिक कम्पनी पिरपुरा मंगलौर रूडकी ।	19	2400000	240000
111	सर्वश्री दुर्गा भट्टा कम्पनी मानकपुर आदमपुर रूडकी	30	3500000	350000
112	सर्वश्री गौरी ब्रिक फिल्ड नगला ईमाद मंगलौर	19	2400000	240000
113	सर्वश्री अशोक ब्रिक फील्ड नगरलाईमरती ।	19	2400000	240000
114	सर्वश्री रोशन ब्रिक कम्पनी नगलाईमरती ।	19	2400000	240000
115	सर्वश्री चॉद ब्रिक उद्योग नगलाईमरती ।	19	2400000	240000
116	सर्वश्री अपना ब्रिक फील्ड( नया नाम उत्तराखण्ड ब्रिक फील्ड ) लण्डौरा	19	2400000	240000
117	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फिल्ड अमरपुरकाजी इकबालपुर	19	2400000	240000
118	सर्वश्री सोहेल ब्रिक फील्ड, बिज्ञौनी ।	21	2600000	260000
119	सर्वश्री किसान ब्रिक फील्ड, बुडपुर जट	21	2600000	260000
120	सर्वश्री सूर्या ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दनपुर ।	21	2600000	260000
121	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रूडकी	21	2600000	260000
122	सर्वश्री जनता ब्रिक फील्ड, लण्डौरा ।	21	2600000	260000
123	सर्वश्री शमा ब्रिक सप्लाई, लण्डौरा ।	21	2600000	260000
124	सर्वश्री उग्रसेन अमरनाथ भट्टा लण्डौरा रूडकी ।	21	2600000	260000
125	सर्वश्री उत्तम ब्रिक फील्ड, गाधारौना लण्डौरा ।	21	2600000	260000
126	सर्वश्री मॉ भगवती ब्रिक झबरेडा रूडकी	21	2600000	260000
127	सर्वश्री दिव्य कृपाल ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	21	2600000	260000
128	सर्वश्री हिमालय ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	21	2600000	260000
129	सर्वश्री सैनी ब्रिक फील्ड, गुम्मावाला रूडकी	21	2600000	260000
130	सर्वश्री गोयल ब्रिक फील्ड, हरचन्दपुर माजरा रूडकी	21	2600000	260000
131	सर्वश्री आदर्श ब्रिक फील्ड झबरेडा रूडकी (समाधान में नहीं है)	21	2600000	260000

132	सर्वश्री अनिल ईट, उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर।	22	2700000	270000
133	सर्वश्री आकाश ब्रिक फील्ड लण्ढौरा	22	2700000	270000
134	सर्वश्री शान ब्रिक फील्ड गाधारौना रोड रुड़की	22	2700000	270000
135	सर्वश्री वैभव लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड बिझौनी।	23	2800000	280000
136	सर्वश्री गगन ईट उद्योग, बिझौनी रुड़की	23	2800000	280000
137	सर्वश्री वीर बाबा फील्ड, घोसीपुरा रुड़की।	23	2800000	280000
138	सर्वश्री दो आब भट्टा क0 भा0च0 रुड़की।	23	2800000	280000
139	सर्वश्री एकता ब्रिक फील्ड, जौरासी।	23	2800000	280000
140	सर्वश्री बिरला ब्रिक कम्पनी, लण्ढौरा।	23	2800000	280000
141	सर्व श्री आसरा ब्रिक फील्ड सलारपुर रुड़की	23	2800000	280000
142	सर्वश्री पारस ब्रिक फील्ड गाधारौना रुड़की	23	2800000	280000
143	सर्वश्री साबरी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, गाधारौना।	23	2800000	280000
144	सर्वश्री सूरज ब्रिक फील्ड लण्ढौरा।	23	2800000	280000
145	सर्वश्री साबरी ब्रिक फील्ड गाधारौना, अकबरपुर।	23	2800000	280000
146	सर्वश्री डमरू ब्रिक फील्ड बिझौनी।	23	2800000	280000
147	सर्वश्री मिलाप ब्रिक फील्ड जैनपुरी झंझेरी।	23	2800000	280000
148	सर्वश्री प्रदीप ईट, उद्योग लण्ढौरा।	23	2800000	280000
	<b>कुल योग</b>		<b>409300000</b>	<b>40930000</b>

## भाग 2 "अ"

**प्रस्तर-3 वन विकास निगम द्वारा उपखनिज की कम निकासी से राजस्व क्षति ₹10.01 करोड़ एवं अन्य शुल्क ₹2.703 करोड़ जमा न कराया जाना ।**

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या: 1561/VII-1/80-ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर 2016 के बिन्दु-17 के अनुसार निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे। बिन्दु 8(क) के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम.एम.-1 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित आवेदन करने के उपरान्त तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति व अन्य वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत किये जाएँगे।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 842/VII-1/2016/24-ख/2007, दिनांक 19.05.2016 के अनुसार "हरिद्वार व अन्य स्थानों" में नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो तो रॉयल्टी की दर ₹154/- प्रति घन मीटर अर्थात् ₹ 7.00 प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी थी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनांक 14 फरवरी 2018 द्वारा उपखनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी नाप भूमि में निर्धारित दर/शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

- (i) रॉयल्टी
- (ii) स्टाम्प शुल्क: रॉयल्टी का 2%
- (iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: रॉयल्टी का 25%
- (iv) क्षतिपूर्ति: रॉयल्टी का 15%

क्रमांक (iv) पर अंकित मद के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रीति से धनराशि प्राप्त की जायेगी तथा उसे संबन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, हरिद्वार की लेखा परीक्षा के दौरान वन विकास निगम को आवंटित खनन लाटों से संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा वन विकास निगम को उपखनिज के 02 लाटों को स्वीकृत किया गया था। कार्यालय प्रभागीय लौंगिक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पत्र स. 1800/ संशोधित ई. सी. दिनांक 09-03-2020 के द्वारा पूर्व में जारी मात्रा को पुनरीक्षित करते हुए का निर्धारण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के IA DIVISION के जनपद हरिद्वार के अंतर्गत संशोधित पर्यावरणीय अनापत्ति उपखनिज की मात्रा क्रमशः रवासन-1 एवम रवासन-2 हेतु 495623.69 एवं 316496.25 की गयी, इस प्रकार स्वीकृत खनन लाटों में से खनन

हेतु सत्र 2019-20 के लिए स्वीकृत मात्रा 812119.94 निर्धारित किया गया था, के सापेक्ष ₹125066470.76 रॉयल्टी जमा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय 31-03-2020 तक रायल्टी की धनराशि रु 24970655.85 प्राप्त हुई ,जो कि निर्धारित रॉयल्टी से ₹ 100095814.91 (125066470.76-24970655.85) कम थी ।

क्र. सं.	नदी का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वीकृत मात्रा (घन मीटर में)	खनन उत्पादन (2019-20)	निर्धारित रायल्टी =( स्वीकृत मात्रा *154)	वास्तविक प्राप्त रॉयल्टी	कम रॉयल्टी प्राप्त
1	रवासन -1	99.79	495623.69	95138.69	76326048.26	14651357	61674691.26
2	रवासन -2	100.59	316496.25	67008.44	48740422.5	10319298.85	38421123.65
			812119.94	162147.13	125066470.76	24970655.85	100095814.91

निगम द्वारा कम प्राप्त रॉयल्टी ₹100095814.91 पर 2% की दर से ₹2001916.30/- स्टाम्प शुल्क एवं 25% की दर से ₹25023953.73/- अंशदान जिला खनिज फाउंडेशन में भी जमा किया जाना था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि पत्रावली की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार 03/2020 तक सम्पूर्ण स्वीकृत मात्रा के खनिज की रॉयल्टी विभाग को प्राप्त होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:4 भट्टो के संचालकों द्वारा आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.04 करोड़।**

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146ख/2010 दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0 एम0- 8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क ₹5.00 लाख (रुपाँच लाख) सहित प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टा स्वीकृति/संचालन संबंधी अनुज्ञा 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र एम0 एम0 10 स्वीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग -1 के पत्रांक 1725 /VII-1/2015/146ख/2010 देहरादून दिनांक 30 अक्टूबर 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन शुल्क ₹2.50 लाख (रु दो लाख पचास हजार) निर्धारित किया गया।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई के क्षेत्राधीन हरिद्वार क्षेत्र में 44 ईट भट्टों को संचालित किया जा रहा था। इन भट्टो के संचालकों द्वारा भट्टा आवेदन शुल्क ₹250000/- जमा किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ईट भट्टों के संचालकों द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं की गयी थी ओर बिना आवेदन शुल्क जमा किये ही ये भट्टे हरिद्वार क्षेत्र में संचालित किये जा रहे थे जो कि पूर्णतया अवैध था। इस प्रकार ईट भट्टों के संचालकों द्वारा ₹10400000/- (44X250000) जमा किया जाना अपेक्षित था (सूची संलग्न है)। उक्त धनराशि पर जमा करने की दिनांक तक ब्याज भी देय है।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि प्रकरण में निदेशालय से मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के क्षेत्राधीन बिना आवेदन शुल्क जमा कराये ही विगत वर्षों से भट्टो का संचालन किया जा रहा है जो पूर्णतया अवैध है। इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आवेदन शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था। शुल्क की वसूली न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई।

अतः आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.04 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक

**ईट भट्टों संचालको के आवेदन शुल्क का विवरण (जो वसूल किया जाना है)**

क्रम संख्या	ईट भट्टे का नाम व कार्य स्थल का नाम	पायो की संख्या	अपेक्षित धनराशि (₹)	जमा धनराशि	आवेदन शुल्क की बकाया धनराशि (₹)
1	सर्वश्री नैनो ब्रिक फील्ड, बैडपुर भगवानपुर रूडकी	18	250000.00	शून्य	250000.00
2	सर्वश्री विजय ब्रिक फिल्ड सुसाडी कला रूडकी	18	250000.00	शून्य	250000.00
3	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फिल्ड सुसाडी कला रूडकी	18	250000.00	शून्य	250000.00
4	सर्वश्री शक्ति ब्रिक फील्ड, शहपुर भगवानपुर रूडकी	19	250000.00	शून्य	250000.00
5	सर्वश्री गौरी ब्रिक फिल्ड नगला ईमाद मंगलौर	19	250000.00	शून्य	250000.00
6	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फिल्ड अमरपुरकाजी इकबालपुर	19	250000.00	शून्य	250000.00
8	सर्वश्री माँ भगवती ब्रिक झबरेडा रूडकी	21	250000.00	शून्य	250000.00
9	सर्वश्री दिव्य कृपाल ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	21	250000.00	शून्य	250000.00
10	सर्वश्री हिमालय ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	21	250000.00	शून्य	250000.00
11	सर्वश्री सैनी ब्रिक फील्ड, गुम्मावाला रूडकी	21	250000.00	शून्य	250000.00
12	सर्वश्री गोयल ब्रिक फील्ड, हरचन्दपुर माजरा रूडकी	21	250000.00	शून्य	250000.00
13	सर्वश्री आदर्श ब्रिक फील्ड झबरेडा रूडकी ( समाधान में नहीं है। )	21	250000.00	शून्य	250000.00
14	सर्वश्री पारस ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
15	सर्वश्री राजेन्द्र कुमार ब्रिक फिल्ड सडौली माजरा रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
16	सर्वश्री जय जगदम्बा ब्रिक फिल्ड मन्नाखेडी रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
17	सर्वश्री सागर ब्रिक फिल्ड नारसन कला मंगलौर	23	250000.00	शून्य	250000.00
18	सर्वश्री शिव ब्रिक सप्लाई टिकौला कला रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
19	सर्वश्री गणपति ब्रिक फिल्ड झबरेडा रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
20	सर्वश्री महालक्ष्मी ब्रिक फिल्ड ठसका	23	250000.00	शून्य	250000.00
21	सर्वश्री महादेव ब्रिक सप्लाई सुसाडी कला मंगलौर	23	250000.00	शून्य	250000.00
22	सर्वश्री गायत्री ब्रिक फिल्ड शीतलपुर झबरेडा	23	250000.00	शून्य	250000.00
23	सर्वश्री ए0बी0एफ अहमद ब्रिक फिल्ड कुमराडी लण्डौरा रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
24	सर्वश्री संगम ब्रिक फिल्ड टिकौला कला मंगलौर	23	250000.00	शून्य	250000.00
25	सर्वश्री राज ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
26	सर्वश्री आर0के एस0 ब्रिक फिल्ड कुमराडी मंगलौर	23	250000.00	शून्य	250000.00
27	सर्वश्री महालक्ष्मी भट्टर क0 बिन्दुखडक रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
28	सर्वश्री दो-आब ब्रिक फील्ड मानपुर आदमपुर	23	250000.00	शून्य	250000.00

	इबरेडा रूडकी				
29	सर्वश्री रूडकी ब्रिक फील्ड बिन्दुखडक, भगवानपुर रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
30	सर्वश्री लक्ष्मी ब्रिक फील्ड इक्बालपुर रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
31	सर्वश्री राम ब्रिक फील्ड, कोटवाल आलमपुर रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
32	सर्वश्री शंकर ब्रिक फील्ड ब्रिक मानकपुर आदमपुर।	23	250000.00	शून्य	250000.00
33	सर्वश्री अमन ब्रिक कम्पनी, पिरानकलियर रूडकी	23	250000.00	शून्य	250000.00
35	सर्वश्री एस0टी0 ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	24	250000.00	शून्य	250000.00
36	सर्वश्री जयश्री गणेश ब्रिक सप्लाई लहबौली रूडकी	24	250000.00	शून्य	250000.00
37	सर्वश्री श्री गणेश ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी	24	250000.00	शून्य	250000.00
38	सर्वश्री एकता ब्रिक फिल्ड कुमराडी रूडकी	24	250000.00	शून्य	250000.00
39	सर्वश्री मलिक ब्रादर्स कुमराडी मंगलौर रूडकी	25	250000.00	शून्य	250000.00
40	सर्वश्री कुमार ब्रिक फिल्ड टिकौला कला रूडकी समाधान में नहीं है।	25	250000.00	शून्य	250000.00
41	सर्वश्री जगदीश ब्रिक फिल्ड लहबौली मंगलौर	25	250000.00	शून्य	250000.00
42	सर्वश्री गगन ब्रिक सप्लाई टाण्डा भन्हेडा रूडकी।	25	250000.00	शून्य	250000.00
43	सर्वश्री वैष्णो ब्रिक फील्ड बिन्दुखडक रूडकी	27	250000.00	शून्य	250000.00
44	सर्वश्री दुर्गा ब्रिक, फिल्ड टिकौला कला रूडकी	27	250000.00	शून्य	250000.00
45	सर्वश्री गगन ईट उद्योग टिकौला कला रूडकी	27	250000.00	शून्य	250000.00
46	सर्वश्री श्री बाला जी ब्रिक फिल्ड जेतडहेडी देवबन्द रोड रूडकी	27	250000.00	शून्य	250000.00
<b>44 * 250000</b>			<b>कुल राशि - 10400000</b>		

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-5 निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹12.78 लाख।**

“उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्टर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जन पद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमशः अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2019-20 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि 03 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 319427/- जमा किया गया था। (सूची संलग्न) यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण निर्माण इकाइयों द्वारा उपखनिजों का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया था। जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा की गयी थी। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है। परन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को ₹1277708.00 (319427 x5 =1597135 - 319427) की हानि हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 14 निर्माण इकाइयों में से आतिथि तक 03 इकाइयों की सूचना उपलब्ध करायी गयी। शेष 11 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराना लेखा परीक्षा को प्रतीक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण में वांछित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध करा दी जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः नियमावली /नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹12.78 लाख की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला हरिद्वार के निर्माण इकाई कार्यालयों के द्वारा वर्ष 2019-20 में बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण :-

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि (₹ में)
1	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड लक्सर, हरिद्वार	
2	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खंड, हरिद्वार	
3	अधिशाली अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, रुड़की	
4	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), हरिद्वार	
5	अधिशाली अभियंता, सिंचाई अनुसंधान संस्थान खण्ड, रुड़की	33,510
6	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, रुड़की	
7	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, बाहदराबाद, हरिद्वार	73,244
8	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की	
9	अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, हरिद्वार	
10	अधिशाली अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, हरिद्वार	
11	अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई खंड, हरिद्वार	
12	अधिशाली अभियंता, अभिकल्प खण्ड,(design Divison) रुड़की	
13	अधिशाली अभियंता, सिंचाई जल स्रोत खण्ड बाहदराबाद, हरिद्वार	2,12,673
14	अधिशाली अभियंता, PMGSY खण्ड, हरिद्वार	
	<b>योग</b>	<b>3,19,427</b>

## भाग-2 (अ)

प्रस्तर-6 ₹68.02 लाख धनराशि की रायल्टी एवं अन्य संबन्धित स्टाम्प शुल्क, क्षतिपूर्ति व जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: की धनराशि कम जमा किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 842/VII-1/2016/24-ख/2007, दिनांक 19.05.2016 के अनुसार "हरिद्वार व अन्य स्थानों" में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो तो राँयल्टी की दर ₹154/- प्रति घन मीटर अर्थात ₹7.00 प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनांक 14 फरवरी 2018 द्वारा उपखनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी नाप भूमि में निर्धारित दर/शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

- (i) राँयल्टी
- (ii) स्टाम्प शुल्क: राँयल्टी का 2%
- (iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: राँयल्टी का 25%
- (iv) क्षतिपूर्ति: राँयल्टी का 15%

कार्यालय जिला खान अधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि GMVN category के अन्तर्गत पट्टाधारक जय भवानी स्टोन क्रेशर, बंजारेवला, जिला-हरिद्वार को स्वीकृत खनन क्षेत्र की समयावधि 27 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक स्वीकृत राजस्व चुगान लॉट क्षेत्रफल 51.020 है0 एवं 394000 टन पर आवंटित किया गया था। जिसे संशोधित कर सीमांकित क्षेत्रफल 29.265 है0 भूमि को चिन्हित करते हुए आनुपातिक आधार पर 225998 टन मात्रा आंकलित की गई। इस प्रकार पूर्व कुल आगणित राँयल्टी धनराशि रु 32268600 के सापेक्ष संशोधित मात्रा के अनुसार रु 18509236<sup>1</sup> राँयल्टी के रूप में लॉट संचालक से वसूल की जानी थी। उक्त राँयल्टी पर 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान रु 3954965 (15819860 का 25 प्रतिशत) भी वसूल की जानी चाहिए थी। जबकि संचालक द्वारा मात्र रु 15662147<sup>2</sup> राँयल्टी जमा की गई इस प्रकार अंतरीय धनराशि रु 68,02,054 (1,85,09,236.00 + 39,54,965.00 - 15662147.00) लॉट संचालक द्वारा कम जमा की गई।

<sup>1</sup> संशोधित निर्धारित राँयल्टी = 225998 Ton\*70(Royalty @Rs. 70 per ton) = Rs. 1,58,19,860  
अन्य देयक = 1,58,19,860\*17% [ राँयल्टी पर स्टाम्प शुल्क (2%), क्षतिपूर्ति (राँयल्टी का 15%) कुल 17%] =  
Rs. 26,89,376.00

कुल संशोधित राँयल्टी धनराशि = Rs. 18509236 (1,58,19,860 + 26,89, 376)

<sup>2</sup> पट्टाधारक के राँयल्टी विवरण के अनुसार जमा की गई राँयल्टी = Rs. 1,56,62,147 (32268600 - 16606453)

उक्त सभी तथ्य तथा उससे सम्बन्धित जानकारी के सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पत्रावली की जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अतः ₹68.02 लाख धनराशि की रायल्टी एवं अन्य संबन्धित स्टाम्प शुल्क, क्षतिपूर्ति व जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान की धनराशि कम जमा करने का प्रकरण शासन की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर:1 मासिक विवरणी प्रस्तुत न किए जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु 6.56 लाख ।**

(1)उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/158-ख/ 04टीसी देहरादून : दिनांक:09 दिसम्बर, 2016 के नियम-11 में अतिरिक्त प्रावधान उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारकर्ता द्वारा मासिक विवरण समय से प्रस्तुत न करने पर रु 2000/- का अर्थदंड आरोपित किया जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 3 खनिज भण्डारकर्ताओ द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं/ विलंब से प्रस्तुत किये गए थे, जिस कारण नियमानुसार उन पर अर्थदण्ड रु 64000 आरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

(विवरण पत्र संलग्न)

जनपद हरिद्वार के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओ के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी से सम्बन्धी सूची:

क्रम सं.	भण्डारणकर्ता का नाम(सर्वश्री/श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(रु2000/-प्रति माह ) (रु)	टिपणी
1	श्री गुरुबक्स सिंह लक्सर	26-02-2018	07/2019 से 03/2020 तक	09	18000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
2	श्री जय गंगा ट्रेडिंग कंपनी लक्सर	08-06-2019	06/2019 से 02/2020 तक	09	18000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
3	श्री मानिंदर सिंह ऋषिकेश , हरिद्वार	10-06-2019	06/2019 से 03/2020	10	20000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
योग				28	56000/-	

(2) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी पर मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह रु. 50000/-का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शुभम स्टोन क्रेशर के द्वारा 12 मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर रु. 600000 /- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि पत्रावली की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मासिक विवरणी न जमा किए जाने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्जन में लाया जाता है।

## भाग 2 (ब)

### प्रस्तर-2 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली ।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के राजस्व प्राप्ति सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत 2 वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्ति निम्नवत थी :

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (₹ लाख में)	प्राप्ति (₹ लाख में)	कम प्राप्ति (₹ लाख में)
2017-18	-	3329	-
2018-19	9000	3769	5231
2019-20	11000	2304	8696

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लगातार राजस्व की कम प्राप्ति हुई । वर्ष 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य के अपेक्षा 79 % कम राजस्व प्राप्त हुआ।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया है कि जनपद हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के खनन पट्टे NMCG के आदेश के क्रम में बंद है खनन पट्टों का संचालन न होने के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी आई है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2018-19 में भी राजस्व प्राप्ति में कमी थी, उक्त कारणों को ध्यान में रखा जाता तब 2019-20 में लक्ष्य कम निर्धारित किया जाता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2016-17	01	01, 02, 03
32/2017-18	01, 02	01
58/2018-19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	01, 02, 03
128/2019-20	01, 02, 03	01, 02, 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार (उत्तराखंड) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री दीपक हटवाल	जिला खान अधिकारी	01/04/2019 से 31/03/2020 तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार (उत्तराखंड) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (AMG-II) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II(Non-PSU)